28

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी –श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – 1/2017(मुतफरिक) दायर दिनांक – 1.3.2017

फैसल दिनांक – 27.2.18

अनवान

1–पन्नालाल पिता वालजी रोत मीणा निवासी धाणी उपली वरदा तहसील सागवाडा

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री फतेहसिंह पिता भैरवसिंह राजपुत निवासी वरदा

2– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थी – श्री शैलेषकुमार भण्डारी

वकील अप्रार्थी – श्री नागेन्द्रसिह

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत धारा 212 राज0टि0एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 ,2 जा0दी0

निर्णय

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कने उक्त अनवान का वाद न्यायालय मे प्रथक से प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है । प्रार्थी के पिता का नाम वालजी एवं वालजी के पिता रंगा होकर प्रार्थी के पितामह रंगा वल्द देवजी भील ग्राम वरदा उपलीधाणी के होकर ग्राम वरदा की कृषि आराजी संवत 2011 से 2018 में खसरानम्बर 1416 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भैरवसिंह के खाते दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता के पिता रंगा वल्द देवजी भील इस आराजी के शिकमी काश्तकार थे । यह कि संवत 2013 में सेटलमेण्ट के समय खसरानम्बर 1416 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नम्बर 1416 रकबा सात बिस्वा भूमि के वर्तमान भूमाप खसरानंम्बर 1571 रकबा 2 बीघा सात बिस्वा बना जो अप्रार्थी के नाम दर्ज हुआ जबकि शिकमी काश्तकार /उपकृषक के रूप में प्रार्थी के पिता और इनके पिता रंगा वल्द देवजी भील के खाते दर्ज होंनी चाहिए थी जो नही कर मूल खातेदार के नाम भूमि दर्ज कर दी जबकि संवत 2011 से वर्तमान तक इस भूमि पर आज भी वादी ही काबिज चला आ रहा है एंव मौके पर प्रार्थी का कब्जा अपने पितामह के वक्त से बना हुआ है । इसलिए विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थी कमो खसरा नम्बर 1571 में काश्त करने में रूकावट पैदा नहीं करे और न किसी अन्य से रूकावट पैदा न करें तथा वर्तमान में विवादित आराजीयात 1571 में विपक्षी संख्या 1 का

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

नाम जमाबन्दी खतौनी में दर्ज होने से व मौके पर प्रार्थी का पुराना कब्जा बना होने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध दौराने वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विपक्षी संख्या 1 भूमि को किसी भी अन्य को हस्तान्तरण ,विकय ,बेचान ,रहन भूमि की शक्ल में परिवर्तन आदि नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थी के पुराने कब्जे का कोई क्षति नहीं पहूँचाये ,राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 का नाम हटाकर प्रार्थी का नाम दर्ज करने इन्द्राज दुरूस्ती कराई जावे । यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है तथा सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है । दौराने वाद विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी ।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के अन्त में खसरा नम्बर 1571 में काश्त करने में रूकावट पैदा नहीं करने और न किसी अन्य से रूकावट पैदा कराने तथा आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से मौके पर प्रार्थी का कब्जा बना हुआ है ,वाद वर्णित आराजीयात का विपक्षी संख्या 1 भूमि को किसी भी अन्य को हस्तान्तरण ,विकय,बेचान,रहन ,भूमि की शक्ल में परिवर्तन आदी नही करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थी के पुराने मकान को कोई क्षति नहीं पहूँचाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रार्थी द्धारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज खसरा गिरदावरी ग्राम वरदा खसरा नम्बर 1416 व 1417 संवत 2011 से 2018 ,फर्द तुलनात्मक खसरा नम्बर 1416,1417से नये बने नम्बर 1571 संवत 2013 ,आंशिक प्रतिलिपि खतोनी आसामीवार खाता संख्या 17ग्राम वरदा संवत 2003 पेश की गई है ।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए । अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 5.12.2017 को जवाब प्रस्तुत किया । नकल वकील प्रार्थी को दिलाई जाकर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

विद्धान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा रंगा ग्राम वरदा उपली धाणी फला के निवासी थे एवं दादा के समय से कब्जा है अतः बेदखल नहीं किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी हक प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है । वकील प्रार्थी ने बहस में बताया कि खातेदारी अप्रार्थी की है किन्तु कब्जा प्रार्थी का है एवं शिकमी काश्तकार का दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है । वकील प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे.1997 भेरूराम बनाम भागीरथ पृष्ठ संख्या 469–471 की ओर आकर्षित कर बताया कि RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- SECTION 212-Temporary injuction can begranted in favour of a person who is in possession of disputed land and prima facic case is in his favour – Before granted the temporary injunction court should find out who is in possession of land. However temporary injection cannot be granted against person who is in possession of disputed

विद्धान अभिभाषक प्रतिवादी ने अपनी बहस में शिकमी काश्तकार होने का कोई दस्तावेज साक्ष्य नहीं होना तथा निकटवर्ती भूमि का खातेदार होने से प्रश्नगत भूमि पर हक नहीं हो जाने से खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाने का उल्लेख करते हुए खातेदार होना एवं प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन एंव अपूर्णनीय क्षति उनके पक्ष मे होना बताते हुए हमारा ध्यान राजस्व मण्डल राजस्थान के प्रकरण मलकियत कोर एवं अन्य बनाम मलकिय कोर व अन्य के निर्णय दिनांक 6 फरवरी 2017 का दृष्टांत "

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

30

–"RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- SECTION 212-Temporary injuction –Temporary injuction application rejected – concurrent finding non petitioner no 4 purchased the land from the non petitioner no 1 to 3 &he is recorded khatedar of the land –no T.I.can granted against a recorded khatedar –no primafacie made out neither balance of convenience non ireeparable loss is infavour of the petitioners held revision dismissed ^^ का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज किया जाने का निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस एवं प्रस्तुत दृष्टांत पर मनन किया । अप्रार्थी खातेदार दर्ज रेकार्ड है । प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त आराजी पर उनके कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी के पक्ष में , सुविधा संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27/2/19 को सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

पन्नालाल पिता वालजी रोत मीणा, निवासी धाणी उपली वरदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. फतेहसिंह पिता भैरवसिंह जी राजपूत, निवासी वरदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकासी सागवाड़ा
27–02–2018 प्रकरण सं. 01/2017

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक रे.सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

---::---

निर्णय दिनांक 30–10–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के पिता वालजी वल्द रंगा होकर वादी के पितामह रंगा वल्द देवजी भील ग्राम वडदा उपली धाणी के होकर ग्राम वडदा की आराजी नंबर 1416 संवत् 2011 से 2018 में विपक्षी संख्या 1 के पिता भैरवसिंह के खाते में दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता क पिता रंगा जी इस भूमि के शिकमी उपकाश्तकार थे। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी नंबर 1416 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नंबर 1417 रकबा 7 बिस्वा भूमि के वर्तमान नंबर 1571 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा बने, जो विपक्षी के नाम दर्ज हुआ, जबकि शिकमी काश्तकार/उपकृषक प्रार्थी के पितामह रंगा जी के खाते दर्ज होनी चाहिए थी। संवत् 2011 से आज दिनांक तक कब्जा प्रार्थी का अपने पितामह के समय से चला आ रहा है, परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज होने से वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतएवं निवेदन किया कि विवादित

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

आराजी नंबर 1571 में प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं विक्रय हस्तान्तरण नहीं करते हेतु विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में विपक्षी की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि विपक्षी के खाते एवं कब्जे काश्त की है, प्रार्थी अथवा उसके पिता व दादा का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, उनके शिकमी काश्तकार होने का कथन गलत है। विवादित आराजी नंबर 1571 से प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मकान होने से प्रार्थी विपक्षी की खाते की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद उनके द्वारा पेश शुदा साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 27—02—2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23—03—2018 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षप की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तथ्यों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्तों पर कोई विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय को शिकमी काश्तकार के पक्ष में मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक था। अधिनस्थ

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

न्यायालय ने पेश शुदा खसरा गिरदावरियों पर कोई गौर नहीं किया है, जबकि अपीलान्ट/प्रार्थी के शिकमी काश्तकार होने की प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध थी।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो प्रकट आया कि प्रकरण में जहां तक प्रथम दृष्टया केस का प्रश्न है, उसके द्वारा पेश शुदा मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबर 1416 रकबा 2 बीघा एवं 1417 रकबा 7 बिस्वा से हाल आराजी नंबर 1571 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा बने हैं। साबिक आराजी नंबर 1416 में सिर्फ 1 वर्ष की खसरा गिरदावरी संवत् 2012 में प्रार्थी/अपीलान्ट के दादा रंगा वल्द देवजी अंकित है, किन्तु वह शिकमी काश्तकार के रूप में अंकित नहीं है तथा पेश शुदा खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2014 में सिर्फ 1 वर्ष में रंगा वल्द देवजी अंकित है तथा खातेदार के रूप में विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट के पिता भैरवसिंह अंकित है। सिर्फ एक खसरा गिरदावरी संवत् 2012 यानी सन् 1955 में ही अपीलान्ट/प्रार्थी के दादा रंगा का नाम दर्ज है, वह भी शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज नहीं है, तद्नुसार प्रथम दृष्टया स्वत्व इस स्तर पर अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में नहीं माना जा सकता। भूमि पर प्रार्थी अभी भी काबिज हो इस बाबत् भी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। तद्नुसार समग्र रूप से स्वत्व एवं कब्जा प्रार्थी/अपीलान्ट का इस स्तर पर नहीं माना जा सकता एवं तद्नुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त भी प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में नहीं रहते हैं। अधिनस्थ न्यायालय से उपलब्ध साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–02–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

सत्यमेव जयते
उदयपुर

सत्यमेव जयते
उदयपुर

प्रमाणित प्रति
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)